5/3/8/23

कार्यालय: रक्षा लेखा नियंत्रक (सेना) , मेरठ छावनी

Office of the Controller of Defence Accounts (Army).
बैल्वेडियर परिसर , आयुद्ध पथ , मेरठ छावनी-250001
Belvedere Complex, Ayudh Path,Meerut Cantt. – 250001
फोन नं॰/Ph.0121-2644273. फ़ैक्स/Fax:0121-2646216/2646254

परिपत्र

सं: प्रशा/07/7022/Misc

दिनांक:- 02/08/2023

सेवा मे,

1.रक्षा लेखा नियंत्रक (सेना) के समस्त अनुभाग
2. रक्षा लेखा नियंत्रक (सेना) के समस्त उप-कार्यालय

विषय:- भारतीय झंडा संहिता , 2002 (2021 एवं 2022 में यथासंशोधित) तथा राष्ट्रिय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के अंतर्विष्ट नियमों के कड़ाई से पालन के संबंध में।

मुख्यालय कार्यालय के पत्र संख्या प्रशा.-III/3012/परिपत्र/जिल्द/11 के अंतर्गत प्राप्त पब्लिक अनुभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र संख्या 15/1/2023-पब्लिक दिनांक 18 जुलाई 2023 की प्रति एवं भारतीय झंडा संहिता 2002 में निहित मुख्य दिशा निर्देशों को, आपकी सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित करने का निर्देश दिया गया है पत्र संलग्न है।

2. तदनुसार आपसे अनुरोध किया जाता है कि उसमें निहित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

संलग्नक:-पाँच पेज

व.लेखा अधिकारी (प्रशा-7)

प्रतिलिपि:

IT&S Cell, (स्थानीय) अनुरोध है कि परिपत्र को संलग्नकों सहित रक्षा लेखा नियंत्रक (सेना) की वेबसाइट पर अपलोड करें।

व.लेखा अधिकारी (प्रशा-7)

"हर काम देश के नाम"

रक्षा लेखा महानियंत्रक

उलान बटार रोड, पालम, दिल्ली छावनी-110010

Controller General of Defence Accounts

Ulan Batar Road, Palam, Delhi Cantt.- 110010

Phone: 011-25665703 Fax: 011-25674808, 25674821 email: [illegible]

F. No. प्रशा.-III/3012/ परिपत्र/जिल्द/11 दिनांक 28.07.2023

सेवा में,

समस्त र.ले.प्र.नि., प्रधान लेखा नियंत्रक (फैक्टरी), प्रधान एकीकृत वित्तीय सलाहकार

र.ले.नि., एकीकृत वित्तीय सलाहकार, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र

(ईमेल द्वारा)

विषय: भारतीय झंडा संहिता, 2002 (2021 एवं 2022 में यथासंशोधित) तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के अंतर्विष्ट नियमों के कड़ाई से पालन के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को, पब्लिक अनुभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र संख्या 15/1/2023-पब्लिक दिनांक 18 जुलाई 2023 की प्रति एवं भारतीय झंडा संहिता 2002 में निहित मुख्य दिशा निर्देशों को, आपकी सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित करने का निर्देश दिया गया है।

2. तदनुसार आपसे अनुरोध किया जाता है कि उसमें निहित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

रक्षा लेखा अपर महानियंत्रक (प्रशा.) के अनुमोदन से जारी।

(पंकज कुमार)

लेखा अधिकारी (प्रशासन)

प्रतिलिपि:

1 प्रशासन-4, स्थानीय. सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(पंकज कुमार)

लेखा अधिकारी (प्रशासन)

तत्काल

संख्या 15/1/2023-पब्लिक
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(पब्लिक अनुभाग)
* * *

(5)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली -1
दिनांक 18 जुलाई, 2023

सेवा में,

सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव/
सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक,
भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव।

विषय : **भारतीय झंडा संहिता, 2002 [2021 एवं 2022 में यथासंशोधित] तथा राष्ट्रीय गौरवअपमान निवारण अधिनियम, 1971 में अंतर्विष्ट नियमो के कड़ाई से पालन के सम्बन्ध में।**

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश के लोगों की आशाओं एवं आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए, इसे सम्मान की स्थिति मिलनी चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज के लिए एक सार्वभौमिक लगाव और आदर तथा वफादारी होती है। तथापि, राष्ट्रीय झंडे के संप्रदर्शन पर लागू होने वाले कानूनों, प्रथाओं तथा परंपराओं के संबंध में जनता के साथ-साथ भारत सरकार के संगठनों/एजेंसियों में भी जागरूकता का अभाव देखा गया है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 तथा भारतीय झंडा संहिता, 2002 [2021 एवं 2022 में यथासंशोधित], जो राष्ट्रीय ध्वज के प्रयोग/ध्वजारोहण/संप्रदर्शन को नियंत्रित करते हैं, की प्रति इस मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। भारतीय ध्वज संहिता, 2002 की मुख्य दिशा-निर्देश संलग्न हैं।

2. भारतीय झंडा संहिता के भाग-II के पैरा 2.2 की धारा (x) के अनुसार, जनता द्वारा कागज़ के बने राष्ट्रीय झंडो को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेलकूद के अवसरों पर हाथ में लेकर हिलाया जा सकता है। आपसे यह सुनिश्चित करने का अनुरोध है कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेलकूद के अवसरों पर जनता द्वारा प्रयोग किये हुए कागज़ के बने राष्ट्रीय झंडो को समारोह के पूरा होने के पश्चात न तो विकृत किया जाए और न ही जमीन पर फेंका जाए। ऐसे झंडों का निपटान उनकी मर्यादा के अनुरूप एकान्त में किया जाए।

3. आपसे यह अनुरोध है कि कृपया इस संबंध में वृहद जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जाएं तथा इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया में विज्ञापनों के माध्यम से वृहद प्रचार किया जाए।

भवदीय,

संलग्नक --यथोपरि

पाण्डेय प्रदीप कुमार
18/7/2023
(पाण्डेय प्रदीप कुमार)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 23093101

....2-

प्रति प्रेषित :-

1. राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली ।
2. उप-राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
3. प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
4. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. सभी राज्यपालों के कार्यालय।
6. भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ।
7. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
8. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
9. रजिस्ट्रार, भारत का उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली ।
10. सभी उच्च न्यायालय ।
11. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली ।
12. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
13. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली ।
14. नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली ।
15. गृह मंत्रालय के सभी संबंद्ध और अधीनस्थ कार्यालय।
16. 5 अतिरिक्त प्रतियां।

पाण्डेय प्रदीप कुमार
18/7/2023

(पाण्डेय प्रदीप कुमार)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 23093101

भारतीय झंडा संहिता, 2002 में निहित मुख्य दिशा-निर्देश

1. भारत का राष्ट्रीय ध्वज, भारत के लोगो की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिरूप है। यह हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है और सबके मन में राष्ट्रीय ध्वज के लिए प्रेम, आदर और निष्ठा है। यह भारत के लोगों की भावनाओं और मानस में एक अद्वितीय और विशेष स्थान रखता है।

2. भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण/प्रयोग/संप्रदर्शन राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 और भारतीय ध्वज संहिता, 2002 द्वारा नियंत्रित है। भारतीय झंडा संहिता, 2002 में निहित कुछ मुख्य दिशा-निर्देश जनता की जानकारी के लिए नीचे सूचीबद्ध हैं:-

(क) भारतीय झंडा संहिता, 2002 को 30 दिसंबर, 2021 के आदेश द्वारा संशोधित किया गया और पॉलिएस्टर के कपडे से बने एवं मशीन द्वारा निर्मित राष्ट्रीय ध्वज की अनुमति दी गई। अब व्यवस्था है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काते गए और हाथ से बुने हुए या मशीन द्वारा निर्मित, सूती/**पॉलिएस्टर**/ऊनी/सिल्क/खादी के कपडे से बनाया गया हो।

(ख) जनता का कोई भी व्यक्ति, कोई भी गैर-सरकारी संगठन अथवा कोई भी शिक्षा संस्था राष्ट्रीय झंडे को सभी दिनों और अवसरों, औपचारिकताओ या अन्य अवसरों पर फहरा/प्रदर्शित कर सकता है, बशर्ते राष्ट्रीय झंडे की मर्यादा और सम्मान का ध्यान रखा जाये।

(ग) भारतीय झंडा संहिता, 2002 को 20 जुलाई, 2022 के आदेश द्वारा संशोधित किया गया एवं भारतीय झंडा संहिता के भाग-II के पैरा 2.2 की धारा (xi) को निम्नलिखित धारा से प्रतिस्थापित किया गया:-

(xi) **"जहाँ झंडे का प्रदर्शन खुले में किया जाता है या जनता के किसी व्यक्ति द्वारा घर पर प्रदर्शित किया जाता है, वहां उसे दिन एवं रात में फहराया जा सकता है;"**

(घ) राष्ट्रीय झंडे का आकार आयताकार होगा। यह किसी भी आकार का हो सकता है परन्तु झंडे की लम्बाई ओर ऊंचाई (चौडाई) का अनुपात 3 : 2 होगा।

(ङ) जब कभी राष्ट्रीय झंडा फहराया जाये तो उसकी स्थिति सम्मानजनक और पृथक होनी चाहिए।

(च) फटा हुआ और मैला-कुचैला झंडा प्रदर्शित नहीं किया जाये।

(छ) झंडे को किसी अन्य झंडे अथवा झंडो के साथ एक ही ध्वज-दंड से नहीं फहराया जाये।

(ज) संहिता के भाग-III की धारा-IX में उल्लखित गणमान्यो जैसे राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल आदि, के सिवाय झंडे को किसी वाहन पर नहीं फहराया जायेगा।

(झ) किसी दूसरे झंडे या पताका को राष्ट्रीय झंडे से ऊँचा या उससे ऊपर या उसके बराबर में नही लगाना चाहिए।

नोट: अधिक जानकारी के लिए, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 और भारतीय झंडा संहिता, 2002, गृह मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.gov.in पर उपलब्ध हैं।